# लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी, (राजस्व)
# (जिला कलक्टर) चित्तौड़गढ़
# पीठासीन अधिकारी **इन्द्रजीत सिंह,** आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या/35/2018 (सू.अ.)
पंजीयन दिनांकः– 20.04.2018

श्री छगनलाल पिता देवकिशन चंदेल निवासी अंबिका चौक, जलचक्की, कांकरोली

**बनाम**

लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

**निर्णय**

**दिनांक 01.05.2018**

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के तहत अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ के यहां सूचना चाहने हेतु एक आवेदन दिनांक 26.02.2018 को रजिस्टर्ड ए. डी. से प्रस्तुत किया। प्रस्तुत आवेदन पर 30 दिवस की अवधि में भी अपीलार्थी को उसके द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय के पत्रांक प्र.सं. सूचना का अधिकार 35/2018/(01.05)/324 दिनांक 20.04.2018 से लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को दिनांक 01.05.2018 से पूर्व कमेंट्स प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करते हुए, अपीलार्थी को भी समसंख्यक पत्रांक (रजिस्टर्ड) से नियत दिनांक 01.05.2018 को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित होने के लिये लिखा गया।

रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से सूचना देने के बावजूद भी अपीलार्थी नियत दिनांक को अपना पक्ष रखने हेतु उपस्थित नहीं हुआ और न ही लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ ने उक्त प्रकरण में आदिनांक तक कमेन्ट्स प्रस्तुत किये।

| प्रकरण संख्या 35/2018 (सू.अ.) |
|---|
| श्री छगनलाल चंदेल निवासी कांकरोली बनाम लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ |

हमने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील एवं उसके संलग्न अनुलग्नकों का अवलोकन कर उस पर मनन किया जिसके अनुसार अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन दिनांक 26.02.2018 से उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, चित्तौड़गढ़ से संबंधित सूचनाऐं चाही गई।

यहां यह उल्लेखनीय है कि अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को राजस्व विभाग से संबंधित सूचनाऐं उपलब्ध कराने हेतु राजस्व विभाग का लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किया हुआ है अतः लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) को अपीलार्थी का आवेदन, आवेदन प्रस्तुत होने की दिनांक से 5 दिवस के भीतर संबंधित लोक सूचना अधिकारी, उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां, चित्तौड़गढ़ को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के तहत स्थानान्तरित कर सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराई जानी थी जो कि लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) ने नहीं किया तथा न ही आदिनांक तक उक्त अपील में अपने कमेन्ट्स प्रस्तुत किए हैं। अतः ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है एवं लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़ को निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को उप रजिस्ट्रार, सहकारी समितियॉ, चित्तौड़गढ़ से अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना प्राप्त कर उसे निः शुल्क उपलब्ध करावें।

(इन्द्रजीत सिंह)
आई.ए.एस.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)

क्र./सरिश्ता/प्र.सं./35/2018(सू.अ.)/ दिनांकः– / /2018

प्रतिलिपिः–

1. लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) एवं अतिरिक्त कलक्टर (प्रशासन), चित्तौड़गढ़
2. श्री छगनलाल चंदेल पिता श्री देवकिशन चंदेल निवासी अम्बिका चौक, जलचक्की, कांकरोली, जिला राजसमन्द

लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी
जिला कलक्टर, चित्तौड़गढ़ (राज.)